

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

अधि०सं०: यो०स्था०३/१-०८/२०१८-११९५/यो०वि०, पटना, दिनांक ०४ मार्च, २०१९

अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या ९७०६ दिनांक २०.०७.२०१८ में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार योजना सेवा के सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक कोटि, वेतन स्तर-९ के निम्नांकित पदाधिकारियों को जिला योजना पदाधिकारी/वरीय अनुसंधान पदाधिकारी कोटि के वेतन स्तर-११ में अधिसूचना निर्गत की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए कॉलम-४ में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-


क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला योजना पदाधिकारी/वरीय अनुसंधान पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के उपरांत पदस्थापित स्थान
१	श्री विजय कुमार, ४४/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, सारण (छपरा)	जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा)
२	श्री अमरदीप तिवारी, ४५/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, किशनगंज	जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज
३	श्री शशिभूषण प्रसाद गुप्ता, ४७/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)
४	श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, ४९/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज	जिला योजना पदाधिकारी, गोपालगंज
५	मो० शकील अंसारी, ५०/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, खगड़िया	जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया
६	श्री जितेन्द्र प्रसाद, ५३/२०१८	सहायक निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना	वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना
७	श्री अवध कुमार चौबे, ५४/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, रोहतास (सासाराम)	जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)
८	श्री सुधीर प्रसाद सिंह, ५५/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर	जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर
९	श्री अरविन्द कुमार, ५६/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, औरंगाबाद	जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद
१०	श्री विनोद कुमार सिन्हा, ५७/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, जमुई	जिला योजना पदाधिकारी, जमुई
११	श्री सुभाष दास राम, ५८/२०१८	सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, पूर्णियाँ	जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ

26

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।


3. उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
(रमेश कुमार) 19

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था03/1-02/2017-1194 / यो0वि0, पटना, दिनांक 08 मार्च, 2019  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव 3/19

ज्ञापांक: यो0स्था03/1-02/2017-1194 / यो0वि0, पटना, दिनांक 08 मार्च, 2019  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्वद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/संबंधित सहायक योजना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-3, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव 3/19